

Marie VIIII de Judia The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 2009/अग्रहायण, 23, 1931

No. 2116]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2009/AGRAHAYANA 23 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय अधिसुचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3203(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 21 जुलाई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1800(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में,---

- (i) क्रम सं. (4) के सामने "श्री कुनाल बनर्जी" शब्दों के स्थान पर "श्री जी. एन. वेंकटरमण" शब्द रखे जाएंगे;
- (ii) क्रम सं. (8) के सामने "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नामनिर्देशिती" प्रविष्टि के स्थान पर "श्री पवन के. कुमार, निदेशक (टीपीएल-IV), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. 1/5/2001-सी.एल.-V] रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :--मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में सं. का.आ. 1800(अ), तारीख 21 जुलाई, 2009 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सं. का.आ. 285(अ), तारीख 6 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th December, 2009

S.O. 3203(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st July, 2009 vide number S.O.1800(E), dated 21st July, 2009, namely:—

In the said notification,—

- (i) against serial No. (4), in the entry for the words "Shri Kunal Banerjee", the words and letters "Shri G.N.Venkataraman", shall be substituted:
- (ii) Against serial No. (8), for the "Nominee of the Central Board of Direct Taxes", the entry "Shri Pawan K. Kumar, Director (TPL-IV), North Block. New Delhi", shall be substituted.

[F. No. 1/5/2001-C.L.-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II. Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 1800(E), dated the 21st July, 2009 and subsequently amended vide number S.O. 285(E), dated the 6th November. 2009.

4571 GI/2009